

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्डुनू**  
**पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)**

सूचना नम्बर 71/2022

दायर दिनांक-25-04-2022

- 1 सावरमल पुत्र भोलाराम जाति माली निवासी भेरुबास तन ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।
- 2 अनिता कुमारी पुत्री भगवाना जाति माली निवासी भेरुबास तन ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।
- 3 न्यारीस देवी पुत्री भगवाना जाति माली निवासी भेरुबास तन ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।
- 4 प्रहलाद सैनी पुत्र भगवाना जाति माली निवासी भेरुबास तन ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।
- 5 अनिल कुमार पुत्र भगवाना जाति माली निवासी भेरुबास तन ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।
- 6 सुनिल कुमार पुत्र भगवाना जाति माली निवासी भेरुबास तन ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।
- 7 सुरेन्द्र पुत्र भगवाना जाति माली निवासी भेरुबास तन ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।
- 8 रूडी देवी पत्नी भगवाना जाति माली निवासी भेरुबास तन ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।

**बनाम**

- वादीगण

1. विनोद कुमार पुत्र भगवाना जाति माली निवासी भेरुबास तन ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।
- 2 भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।

-प्रतिवादीगण

शकील वादी : - श्री किशोर कुमार जांगिड़  
 शकील प्रति. नं. :- एकपक्षीय

**दावा बाबत घोषणार्थ, दुरुस्ती रिकार्ड**  
**अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**  
**-:: निर्णय ::-**

दिनांक- 25-07-2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :- वाके राजस्व ग्राम भेरुबास तहसील हल्का झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू की सरहद में नया खाता संख्या 46 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 669, 670 रकबा क्रमशः 0.0100, 1.6900 हैक्टर तथा खाता संख्या नया 200 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 869 रकबा 1.82 हैक्टर, नया खाता संख्या 47 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 671, 672, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693 रकबा क्रमशः 0.60, 0.05, 0.13, 0.13, 0.38, 0.31, 0.30, 0.31, 0.32, 0.28, 0.35, 0.35, 0.28, 0.11, 0.10, 0.35, 0.30, 0.29, 0.25, 0.30, 0.13 हैक्टर कुल किता 21 कुल रकबा 5.62 हैक्टर स्थित जो उपरोक्त आराजी वाद पत्र की विषय वस्तु है जिसे वाद-पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया है।



वाद-पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित नया खाता संख्या 46 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 669, 670 रकबा क्रमशः 0.0100, 1.6900 हैक्टर तथा खाता संख्या नया 200 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 869 रकबा 1.82 हैक्टर, नया खाता संख्या 47 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 671, 672, 675, 676, 677, 678, 679, 680,

**ए. सी. ई. एम. (फ. ट्रे.)**  
**नवलगढ़**

681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693 रकबा क्रमशः 0.60, 0.05, 0.13, 0.13, 0.38, 0.31, 0.30, 0.31, 0.32, 0.28, 0.35, 0.35, 0.28, 0.11, 0.10, 0.35, 0.30, 0.29, का व 1/32 हिस्सा वादी संख्या 2 लगायत 7 व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 8 के पति भगवाना का था। उपरोक्त आराजी में वादीगण का अन्य सहखातेदार से हक हिस्से बाबत कोई विवाद नहीं है।

लगायत 7 व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता का नाम व वादी संख्या 8 के पिता का सही व वास्तविक नाम नाम सांवरमल पुत्र भोलाराम है तथा वादी संख्या 2 भगवाना पुत्र भोलाराम था जो वादी संख्या 1 व वादी संख 2 लगायत 7 व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता का सही व वास्तविक नाम पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र आदि में दर्ज है एवं वादी संख्या 02 लगायत 07 व प्रतिवादी संख्या 01 के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में पिता का नाम भगवाना ही दर्ज है परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक वादी संख्या 01 का नाम भूमि खसरा नम्बर 669, 670, 869 में सांवरमल पुत्र भोलाराम व भूमि खसरा नम्बर 671, 672, 675 लगायत 693 में सांवरा पुत्र भोलू गलत दर्ज कर दिया जबकि वादी संख्या 1 का सही नाम सांवरमल पुत्र भोलाराम है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 669, 670, 869 में वादी संख्या 2 लगायत 7 व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता का नाम भागूराम पुत्र भोलूराम दर्ज कर दिया जबकि वादी संख्या 02 लगायत 07 व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता का सही नाम व वास्तविक नाम भगवाना पुत्र भोलाराम है। वादी संख्या 02 लगायत 07 व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता का भगवाना का स्वर्गवास हो चुका है। भगवाना की मृत्यु के पश्चात भूमि खसरा नम्बर 671, 672, 675 लगायत 693 के राजस्व अभिलेख में वादी संख्या 02 लगायत 8 व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व अभिलेख बन गया है परन्तु भूमि खसरा नम्बर 669, 670, 869 में राजस्व अभिलेख में भागूराम पुत्र भोलाराम दर्ज है। उपरोक्त भागूराम पुत्र भोलूराम व भगवाना पुत्र भोलाराम दोना नामों का एक ही व्यक्ति था, जिनके विधिक उत्तराधिकारी वादी संख्या 02 लगायत 08 व प्रतिवादी संख्या 1 की है। इसलिए वाद पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 669, 670, 869 तक सांवरमल पुत्र भोलूराम हिस्सा 1/8 के स्थान पर वादी संख्या 01 सांवरमल पुत्र भोलाराम व भागूराम पुत्र भोलूराम हिस्सा 1/8 के स्थान पर वादी संख्या 02 लगायत 8 व प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इस प्रकार उपर वर्णित खसरा नम्बर 671, 672, 675 लगायत 693 में सांवर पुत्र भोला हिस्सा 1/8 के स्थान पर वादी संख्या 01 सांवरमल पुत्र भोलाराम को खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावे तथा इस खसरा नम्बरान की भूमि में वादी संख्या 2 लगायत 08 व प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी यथावत रखी जावे।

उपरोक्त प्रकार से नाम की भिन्नता होने से वादीगण को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा वादीगण राजस्व सरकार कृषि सम्बन्धित योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है। वादीगण का जीवन कृषि पर आधारित जीवन है। उपरोक्त नामों की भिन्नता के कारण वादीगण सरकार की योजनाओं का लाभ नही कर आधुनिक तरीके से खेती नहीं कर पा रहे जिस कारण वादी को काफी नुकसान हो रहा है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 को उपरोक्त प्रकार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है।

वादीगण ने अपने वाद-पत्र में अनुतोष चाहा है कि बहस वादी डिक्री फरमाया जाकर ग्राम भेरुबास खसरा हल्का झाझड की सरहद में नया खाता संख्या 46 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 669, 670 रकबा क्रमशः 0.0100, 1.6900 हैक्टर, नया खाता संख्या 200 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 869 रकबा 1.82 हैक्टर व सांवरमल पुत्र भोलूराम हिस्सा 1/8 के स्थान पर वादी संख्या 1 सांवरमल पुत्र भोलाराम को व भागूराम पुत्र भोलूराम हिस्सा 1/8 के स्थान पर वाद संख्या 02 लगायत 08 व प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

भूमि खसरा नम्बर 671, 672, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693 रकबा क्रमशः 0.60, 0.05, 0.13, 0.13, 0.38, 0.31, 0.30, 0.31, 0.32, 0.28, 0.25, 0.35, 0.28, 0.11, 0.10, 0.35, 0.30, 0.29, 0.25, 0.30, 0.13 हैक्टर कुल किता 21 कुल रकबा 5.62 हैक्टर

ए. सी. ई. एम. ( फा. डे. )  
नवलपद

णी

म



प्रतिवादी पुत्र भोला हिस्सा 1/32 के स्थान पर वाद संख्या 01 सांवरमल पुत्र भोलाराम को खातेदार काश्तकार के पत्र में पड़ती है वह भी दिलवाई जावे। अन्य कोई सिद्धि जो चाही जाने से रह गई है तथा वादीगण वाद-पत्र प्रस्तुत होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई।

शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में वादी स्वयं सांवरमल पुत्र भोलाराम जाति माली निवासी भैरूबास तन झाझड़ उपस्थित हो अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये। गवाह पीडब्ल्यू 2 अनिल कुमार पुत्र भगवानाराम जाति माली निवासी भैरूबास तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू उपस्थित हो अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये गये। वादी ने अपने वाद-पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श-1 ग्राम झाझड़ की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078, प्रदर्श-2 ग्राम भैरूबास की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078, प्रदर्श-3 ग्राम भैरूबास की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078, प्रदर्श-4 ग्राम भैरूबास की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078, प्रदर्श 5ए फोटो कॉपी आधार कार्ड, प्रदर्श 6ए फोटो कॉपी मतदाता पहचान पत्र, प्रदर्श 7ए फोटो कॉपी आधार कार्ड, प्रदर्श 8ए फोटो कॉपी भामाशाह कार्ड, प्रदर्श 9ए फोटो कॉपी सहकारी किसान कार्ड, प्रदर्श 10ए फोटो कॉपी पैनकार्ड आदि प्रदर्शित करवाये गये।

शहादत पेश होने पर बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों को प्रमाणित किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम भैरूबास पटवार हल्का झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू की सरहद में नया खाता संख्या 46 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 669, 670 रकबा क्रमशः 0.0100, 1.6900 हैक्टर तथा खाता संख्या नया 200 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 869 रकबा 1.82 हैक्टर, नया खाता संख्या 47 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 671, 672, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693 रकबा क्रमशः 0.60, 0.05, 0.13, 0.13, 0.38, 0.31, 0.30, 0.31, 0.32, 0.28, 0.35, 0.35, 0.28, 0.11, 0.10, 0.35, 0.30, 0.29, 0.25, 0.30, 0.13 हैक्टर कुल किता 21 कुल रकबा 5.62 हैक्टर भूमि उपलब्ध दस्तावेजात प्रदर्श-1 ग्राम झाझड़ की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078, प्रदर्श-2 ग्राम भैरूबास की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078, प्रदर्श-3 ग्राम भैरूबास की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078, प्रदर्श-4 ग्राम भैरूबास की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 से प्रमाणित होता है। खाता संख्या 46 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 669, 670 रकबा क्रमशः 0.0100, 1.6900 हैक्टर तथा खाता संख्या नया 200 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 869 रकबा 1.82 हैक्टर, नया खाता संख्या 47 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 671, 672, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693 रकबा क्रमशः 0.60, 0.05, 0.13, 0.13, 0.38, 0.31, 0.30, 0.31, 0.32, 0.28, 0.35, 0.35, 0.28, 0.11, 0.10, 0.35, 0.30, 0.29, 0.25, 0.30, 0.13 हैक्टर कुल किता 21 कुल रकबा 5.62 हैक्टर में से 1/32 हिस्सा वादी संख्या 1 सांवरमल का व 1/32 हिस्सा वादी संख्या 2 लगायत 7 व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 8 के पति भगवाना का था। विवादप्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण का अन्य सहखातेदार से हक हिस्से बाबत कोई विवाद नहीं है। वादी संख्या 1 का सही व वास्तविक नाम सांवरमल पुत्र भोलाराम है तथा वादी संख्या 2 लगायत 7 व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता का नाम व वादी संख्या 8 के पिता का सही व वास्तविक नाम भगवाना पुत्र भोलाराम था जो वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 लगायत 7 व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड, राजस्थान सरकार द्वारा जारी भामाशाह प्रमाण पत्र आदि में दर्ज है एवं वादी संख्या 02 लगायत 07 व प्रतिवादी संख्या 01 के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में पिता का नाम भगवाना ही दर्ज है जो प्रदर्श 5ए लगायत 10ए से प्रमाणित है। वादी संख्या 01 का नाम भूमि खसरा नम्बर 669, 670, 869 में सांवरमल पुत्र भोलाराम व

पुष्पणी  
रिराम  
।  
देश

ए. सी. ई. एम. (फा. डे.)  
नवलगढ

भूमि खसरा नम्बर 671, 672, 675 लगायत 693 में सांवर पुत्र भोलू गलत दर्ज कर दिया जबकि वादी संख्या 1 का सही नाम सांवरमल पुत्र भोलाराम है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 669, 670, 869 में वादी संख्या 2 लगायत 7 व प्रतिवादी संख्या 01 के पता का नाम भागूराम पुत्र भोलूराम दर्ज कर दिया जबकि वादी संख्या 02 लगायत 07 व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता का सही नाम व वास्तविक नाम भगवाना पुत्र भोलाराम है। वादी संख्या 02 भूमि खसरा नम्बर 671, 672, 675 लगायत 693 के राजस्व अभिलेख में वादी संख्या 02 लगायत 8 व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व अभिलेख बन गया है परन्तु भूमि खसरा नम्बर 669, 670, 869 में राजस्व अभिलेख में भागूराम पुत्र भोलाराम दर्ज है। उपरोक्त भागूराम पुत्र भोलूराम व भगवाना पुत्र भोलाराम दोना नामों का एक ही व्यक्ति था, जिनके विधिक उत्तराधिकारी वादी संख्या 02 लगायत 08 व प्रतिवादी संख्या 1 की है। इसलिए वादी संख्या 02 लगायत 8 व प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इस प्रकार वादी संख्या 02 लगायत 8 व प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इस प्रकार वादी संख्या 01 सांवरमल पुत्र भोलाराम को खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित एवं उचित प्रतीत होता है। तथा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में वादी संख्या 2 लगायत 08 व प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। नाम की भिन्नता होने से वादीगण को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा वादीगण राजस्व सरकार कृषि सम्बन्धित योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। फलस्वरूप वाद वादी काश्तकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी वादी स्वीकार किया जाता है।

**:: आदेश ::**

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी पूर्णतया साबित पाये जाने पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम भैरुबास की सरहद में नया खाता संख्या 46 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 669, 670 रकबा क्रमशः 0.0100, 1.6900 हैक्टर, नया खाता संख्या 200 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 869 रकबा 1.82 हैक्टर में सांवरमल पुत्र भोलूराम हिस्सा 1/8 के स्थान पर वादी संख्या 1 सांवरमल पुत्र भोलाराम को व भागूराम पुत्र भोलूराम हिस्सा 1/8 के स्थान पर वाद संख्या 02 लगायत 08 व प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार तथा भूमि खसरा नम्बर 671, 672, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693 रकबा क्रमशः 0.60, 0.05, 0.13, 0.13, 0.38, 0.31, 0.30, 0.31, 0.32, 0.28, 0.35, 0.35, 0.28, 0.11, 0.10, 0.35, 0.30, 0.29, 0.25, 0.30, 0.13 हैक्टर कुल किता 21 कुल रकबा 5.62 हैक्टर में सांवर पुत्र भोला हिस्सा 1/32 के स्थान पर वादी संख्या 01 सांवरमल पुत्र भोलाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल जाप्ता रिकार्ड दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( दमयंती कवर )

सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक)  
नवलगढ़-जिला बुन्देलखण्ड

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )  
 अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ  
 मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ

दावा बाबत घोषणार्थ व रिकार्ड दुरुस्ती

मुकदमा सं०:- 71/2022 ( सांवरमल आदि बनाम विनोद आदि )

पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दमयंती कंवर (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 25.07.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम भैरुबास की तहसील में नया खाता संख्या 46 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 669, 670 रकबा क्रमशः 0.0100, 1.6900 हेक्टर, नया खाता संख्या 200 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 869 रकबा 1.82 हेक्टर में सांवरमल पुत्र भोलूराम हिस्सा 1/8 के स्थान पर वादी संख्या 1 सांवरमल पुत्र भोलाराम को व भागूराम पुत्र भोलूराम हिस्सा 1/8 के स्थान पर वाद संख्या 02 लगायत 08 व प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार तथा भूमि खसरा नम्बर 671, 672, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693 रकबा क्रमशः 0.60, 0.05, 0.13, 0.13, 0.38, 0.31, 0.30, 0.31, 0.32, 0.28, 0.35, 0.35, 0.28, 0.11, 0.10, 0.35, 0.30, 0.29, 0.25, 0.30, 0.13 हेक्टर कुल किता 21 कुल रकबा 5.62 हेक्टर में सांवरमल पुत्र भोलाराम हिस्सा 1/32 के स्थान पर वादी संख्या 01 सांवरमल पुत्र भोलाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते हैं कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेगे। बसकत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.07.2022 को जारी की गई।

ए.सी.ई. (फास्ट-ट्रेक)  
 ए.सी.ई. (नवलगढ) नवलगढ  
 मोहर